67

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 971–तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11–08–2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1335/अपील/2006–07.

.....

1–गोपाल शरण सिंह तनय उदयराज सिंह
2–अशोक सिंह तनय गोपालशरण सिंह
निवासीगण त्योंथरा न–1 तहसील
अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1–राजकुमार पिता भैयालाल द्विवेदी
2–राजेन्द्र कुमार पिता भैयालाल द्विवेदी
निवासीगण त्योंथरा न–1 तहसील
अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–08–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण के द्वारा विवादित आराजी का सीमांकन कराया गया तथा सीमांकन पश्चात 0.31 डिस0 में आवेदक को अतिक्रामक माना गया। अनावेदकगण नेकग्जा वापसी हेतु संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहां पर कब्जा हटाने व 100/– रूपये अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के यहां अपील प्रस्तुत की गई उनके द्वारा अपील निरस्त कर आदेश पारित किया गया। इससे से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तत की जो उनके द्वारा दिनांक 11.8.08 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण के द्वारा विवादित आराजी नंबर 362 रकवा 0.31 डिस0 आराजी आवेदक के कब्जें में पायी गयी। इस सीमांकन आदेश के विरूद्व आवेदक के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत नहीं की गई यदि आवेदक सीमांकन के आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी। संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्यों कि उसके द्वारा सीमांकन आदेश को किसी भी न्यायालय को चुनौती नहीं दी गई है । दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों ने विधिवत विवेचना करने के उपरांत आवेदक को बेदखल किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किये हैं। इस आदेशें का समर्थन अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी किया गया है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 11.8.08 उचित होने स्थिर रखने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1335/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2008 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर